



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

महानिदेशालय फ़ैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

(एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्था)

(औद्योगिक सुरक्षा विभाग)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

“कार्यस्थल पर बिजली के खतरे और कारखानों में विद्युत सुरक्षा अधिकारी की भूमिका”

(21 - 23 अप्रैल, 2026)

डीजीएफएएसएलआई और आर एल आई फरीदाबाद

फ़ैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (DGFASLI) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियां बनाने में मंत्रालय की सहायता करता है, और राज्य सरकारों तथा फ़ैक्ट्रियों को काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य-कुशलता और कल्याण से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। यह देश के प्रमुख बंदरगाहों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कानूनों को भी लागू करता है।

फ़ैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (DGFASLI) के अधीनस्थ कार्यालयों में से एक, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद, उत्तरी क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान कर रहा है।

कार्यक्रम के बारे में

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यस्थल सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत विद्युत सुरक्षा उपायों की मौजूदगी, उनके कार्यान्वयन और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक दिशा-निर्देश प्रदान करने में अत्यंत लाभकारी है। यह विद्युत खतरों की पहचान और जोखिम प्रबंधन के लिए एक

व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देता है; यह मुख्य रूप से विद्युत प्रणालियों के अनुरूप तैयार किए गए 'खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन' (HIRA) के अनुप्रयोग के माध्यम से ऐसा करता है।

उद्देश्य

प्रशिक्षण के बाद, प्रतिभागी इन बातों को समझ पाएंगे:

- कार्यस्थल पर OSHE पर राष्ट्रीय नीति
- प्रतिभागियों को बिजली से जुड़े खतरों और जोखिम प्रबंधन के तरीकों की गहरी जानकारी देना।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी
- संगठन के सभी स्तरों पर बिजली सुरक्षा की एक सक्रिय संस्कृति को बढ़ावा देना।
- बिजली सुरक्षा अधिकारियों की क्षमता को मज़बूत करना, ताकि वे सुरक्षा से जुड़ी पहलों का नेतृत्व कर सकें, नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें और बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं की संभावना को कम कर सकें।
- OSH&WC कोड 2020

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ:

- कार्यस्थल पर OSHE संबंधी राष्ट्रीय नीति
- OSH&WC संहिता 2020 का अवलोकन
- उद्योगों में विद्युत संबंधी खतरे
- कार्यस्थल पर विद्युत सुरक्षा
- सुरक्षा समिति और सुरक्षा अधिकारी की भूमिका भागीदारी

भागीदारी

खतरनाक फ़ैक्ट्रियों, MAH इंस्टॉलेशन, निर्माण स्थलों और बंदरगाहों से जुड़े सुरक्षा प्रबंधक, विद्युत सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा पेशेवर और इंजीनियर; या कोई भी व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में शामिल होने का इच्छुक हो।

तारीख, समय, तरीका

21 - 23 अप्रैल, 2026 (03 दिन)

1000 से 1700 घंटे। ऑफ़लाइन मोड

स्थान

नालंदा कॉन्फ़्रेंस कक्ष, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद - 121010, हरियाणा

नामांकन

नामांकन 17 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले ईमेल द्वारा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम निदेशक को vimal.k.12@dgfasli.nic.in पर और प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम समन्वयक को sanjeev.kumar@dgfasli.nic.in पर भेजा जा सकता है। इस कार्यक्रम में प्रवेश संस्थान से पुष्टि मिलने पर ही होगा।

प्रशासनिक विवरण

संस्थान शुल्क @ 5000/- रुपये (केवल पाँच हजार रुपये) प्रति प्रतिभागी, Bharatkosh पोर्टल (<https://bharatkosh.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। यह शुल्क केवल तभी जमा किया जाना चाहिए, जब आपको कोर्स कोऑर्डिनेटर से ईमेल द्वारा नामांकन की पुष्टि (confirmation) प्राप्त हो जाए; शुल्क जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

संस्थान शुल्क में किसी भी प्रकार के जलपान (refreshments), रहने या खाने-पीने की व्यवस्था (boarding/lodging) शामिल नहीं है।

पुष्टि प्राप्त होने के बाद शुल्क का भुगतान करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

- <https://bharatkosh.gov.in> पर जाएँ
- चुनें: Quick Payment
- उद्देश्य खोजें (Purpose search):
- मंत्रालय: Labour & Employment
- उद्देश्य (Purpose): Training and Services Fees
- वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO): 030050 - PAO, CLC, नई दिल्ली
- DDO: 202195 - क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद
- टिप्पणियाँ: कार्यस्थल पर विद्युत संबंधी खतरे

आवास व्यवस्था

संस्थान के हॉस्टल में, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, 'टिवन शेयरिंग' (दो लोगों के लिए) के आधार पर, गैर-पारिवारिक हॉस्टल आवास की सीमित संख्या उपलब्ध हो सकती है। इसका आवंटन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा।

प्रशिक्षण समन्वयक

संजीव कुमार, सहायक निदेशक (सुरक्षा)

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

सेक्टर-47, फरीदाबाद-121 010

ई-मेल: sanjeev.kumar@dgfasli.nic.in

मोबाइल/व्हाट्सएप: 7289839761

उम्मीदवारी-सह-पंजीकरण प्रपत्र

प्रशिक्षण कार्यक्रम

“कार्यस्थल पर बिजली के खतरे और कारखानों में विद्युत सुरक्षा अधिकारी की भूमिका”

(21 - 23 अप्रैल, 2026)

स्थान: क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान, सेक्टर - 47, फरीदाबाद - 121010

प्रतिभागी का विवरण

नाम (ब्लॉक अक्षरों में) :

पद :

संचार का पता :

उम्र :

योग्यता :

कुल अनुभव :

मोबाइल नंबर :

प्रायोजन संगठन के विवरण नाम और पता :

टेलीफोन संख्या / मोबाइल संख्या :

ई-मेल :

फैक्स नंबर :

आवास : आवश्यक / आवश्यक

भुगतान विवरण (Bharatkosh Receipt No. and date):

BELONGS TO :- :

(GEN / SC / ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Place:

Date:

SIGNATURE OF PARTICIPAN



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE
AND LABOUR INSTITUTES
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, FARIDABAD
(An ISO 9001:2015 certified Institution)
(INDUSTRIAL SAFETY DIVISION)

Training Program on
“Electrical Hazards at Workplace and
Role of Electrical Safety Officer in
Factories”
(21st - 23rd April, 2026)

DGFASLI & RLI FARIDABAD

The Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI) is an attached office of the Ministry of Labour and Employment, Government of India and serve as the technical arm assisting the Ministry in formulating National Policies on Occupational Safety and Health and to advise the State Governments and Factories on matters concerning Safety, Health, Efficiency and well-being of persons at work. It also enforces safety and health statutes in major Ports of the country.

The Regional Labour Institute, Faridabad, one of the Sub-ordinate Offices of DGFASLI, has been rendering technical assistance and services in the field of Occupational Health, Safety and Environment in the Northern Region.

ABOUT THE PROGRAM

This training program is highly beneficial in providing clear and practical guidelines for evaluating the presence, implementation, and effectiveness of electrical safety measures within a workplace safety management system. It emphasizes the importance of a structured approach to electrical hazard identification and risk management, primarily through the application of Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) tailored to electrical systems.

OBJECTIVE

After the training, the participant will be able to understand,

- National Policy on OSHE at workplace
- Equip participants with in-depth knowledge of **Electrical Hazards** and **Risk Management Practices**.
- Occupational Health Surveillance
- Foster a **Proactive Electrical Safety Culture** across all levels of the organization.
- **Strengthen the capacity of Electrical Safety Officers to lead safety initiatives, ensure regulatory compliance, and reduce the likelihood of electrical incidents.**
- **OSH&WC Code 2020**

PROGRAM HIGHLIGHT

- National Policy on OSHE at workplace.
- Overview on OSH&WC Code 2020
- Electrical Hazards in Industries
- Electrical Safety at Workplace
- Role of Safety Committee and Safety Officer

PARTICIPATION

Safety Managers, Electrical Safety Officers, Safety Professionals and Engineers connected with Hazardous Factories, MAH Installations, Construction Site and Port or anyone interested to attend the program.

DATE, TIMINGS & MODE

21st - 23rd April, 2026 (03 Days)

10.00 to 17.00 hrs. OFFLINE MODE

VENUE

Nalanda Conference Room, Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 12101, Haryana

NOMINATION

Nomination may be sent by email to the Training/ Course Director at vimal.k.12@dglasli.nic.in and Training/ Course Coordinator sanjeev.kumar@dglasli.nic.in on or before 17th April, 2026. Admission to the programme is subject to confirmation from the institute.

ADMINISTRATIVE DETAILS

Institution fee @ Rs 5000/- (Rs Five thousand only) per participant through Bharatkosh portal (<https://bharatkosh.gov.in>) may be deposited online by

using the following steps only **after receipt of confirmation of the nomination from the Course Coordinator via email.**

Institution fee does not include any refreshments/boarding/lodging.

Follow the steps below to pay fees after confirmation only.

- ✚ Visit to <https://bharatkosh.gov.in>
- ✚ Select: **Quick Payment**
- ✚ Purpose search: Ministry: **Labour & Employment**
- ✚ Purpose: **Training and Services Fees**
- ✚ Pay & Account Office (PAO): **030050 -PAO, CLC, New Delhi**
- ✚ DDO: **202195 - Regional Labour Institute, Faridabad**
- ✚ Remarks: **Electrical Hazards at Workplace**

ACCOMMODATION

Limited number of non-family hostel accommodation may be available on twin sharing basis in the Hostel of the institute at central government prescribed rate. Allotment will be made on “first come first served” basis.

TRAINING COORDINATOR

Sanjeev Kumar, Asst. Director (Safety)

Regional Labour Institute, Faridabad
Sector-47, Faridabad-121 010

E-mail: sanjeev.kumar@dglasli.nic.in

Mob/Whatsapp: 7289839761

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

Training Program On

“Electrical Hazards at Workplace and Role of Electrical Safety Officer in Factories”

(21st - 23rd April, 2026)

At

REGIONAL LABOUR INSTITUTE, SECTOR – 47, FARIDABAD – 121010

PARTICIPANT’S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No. :

E-mail :

Fax No. :

Accommodation : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS (Bharatkosh Receipt No. and date):

BELONGS TO CATEGORY: - :

(GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Place:

Date:

SIGNATURE OF PARTICIPANT